



कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ /2022-23 / 12019
निमित्त,

दिनांक 12/10/22

अधिशायी अभियंता, सा0 नि0 विभाग,
जिला खण्ड-बस्सी (जयपुर)


विषय:- प्रस्ताव "Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan)& FP/RJ/ROAD/149378/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1022 दिनांक 19.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8318 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण में EDS जारी किया गया था। कि आप या आपका प्रतिनिधी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल से सामान्जस्य स्थापित कर प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि "जो वन भूमि से लगती हुई, अतिक्रमण मुक्त व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त व एक ही स्थान पर (Compact block) में हो" का संयुक्त निरीक्षण कर उपयुक्त होने का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिसके उपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण करने के उपरान्त उसके क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सके। किन्तु जिला कलेक्टर, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 2.08.2022 को आयोजित हुई मितिग में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त प्रस्ताव में काम आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 4.584 है0 के बदले में गैर वन भूमि क्षेत्रफल 4.584 है0 व महंगी से दूधली मोड तक सडक में आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 3.4764 है0 के बदले में गैर वन भूमि क्षेत्रफल 3.5568 है0 दोनों प्रस्तावों की कुल गैर वन भूमि 8.1508 है0 ग्राम दांतली, तहसील-जमवारामगढ जिला जयपुर, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर के कार्यालय के क्षेत्राधिकार में दी जावेगी। अतः उक्त प्रकरण में LAND SUITABILITY CERTIFICATE कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर द्वारा जारी किये जाने के बाद आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,


(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ /2021-22 /

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि उक्त प्रकरण के बदले गैर वन भूमि ग्राम दांतली, तहसील-जमवारामगढ जिला जयपुर में दिया जाना प्रस्तावित है, जो कि आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आती है। अतः प्राप्त गैर वन भूमि के उपयुक्तता पाये जाने पर उसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करवायी जावे, जिससे प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)